

Court F.R. 51/2026

रोख हुकम

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी  
एफ आई आर संख्या 14/2026  
लक्ष्मण बनाम अज्ञात  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

09.03.2026

अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 14/2026, धारा 281,125ए,125बी भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु एक्सीडेंटल में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी लक्ष्मण आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 14/2026, धारा 281,125ए,125बी भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु एक्सीडेंटल में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी सम्बन्धित थाने को लौटावे।

पत्रावली वास्ते फेसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 14.03.2026 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राज०)

14/03/26 यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में फेसल आदेश हेतु पेश की गई। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फेसल शहजार चेकर बाद तफ्तील दाखिल अभिलेखागार में।

अभियंता  
राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं०.....

मि एफ.आर.  
पर की जायेगी  
रिपोर्ट ली है

Musmul

अभियंता

14/3/26

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए